न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री दौलतराम चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 26 /2017(47/2013)

वादीगण		बनाम	प्रतिवादीगण
1	चांद कॅवर पुत्री इन्दरसिंह जाति राजपूत निवारी बेड कला तह0 जैतारण जिला पाली।	1	कुन्दन कॅवर पत्नि स्व0 इन्दरसिंह जाति राजपूत नि0 बेड कला तह0 जैतारण जिला पाली।
		2	सुगन कॅवर
		3	लाड कॅवर
		4	संतोष कॅवर पुत्रियॉ स्व0 इन्दरसिंह जाति राजपूत नि0 बेंड कला तह0 जैतारण जिला पाली।
		5	दरियाव कॅवर पत्नि स्व0 हनुमानसिंह जाति राजपूत नि0 बेंड कला तह0 जैतारण जिला पाली।
		6	तहसीलदार, (भूमिधारक) जैतारण

राजस्व वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

1. श्री अर्जूनसिंह राजपूरोहित अधिवक्ता वादीया उपस्थित।
2. श्री कैलाश दवे, अधिवक्ता प्रति संख्या 2 से 4, श्री भवानीसिंह जैतावत, श्री प्रतिवादीगण उपस्थित।

राजस्व वाद संख्या 27/2017 (52/2013)

वादीगण		बनाम	प्रतिवादीगण
1	दरियाव कंवर पत्नि स्व0 हनुमानसिंह जाति राजपूत नि0 बेंड कल्ला तह0 सोजत जिला पाली।	1	कुन्दन कंवर पत्नि स्व0 इन्दरसिंह जाति राजपूत नि0 बेंड कल्ला तह0 सोजत जिला पाली।
		2	चांद कंवर पुत्री इन्दरसिंह जाति राजपूत निवासी बेड कल्ला तह0 सोजत जिला पाली।
		3	उप पंजीयन अधिकारी, सोजत
		4	तहसीलदार, (भूमिधारक) जैतारण

राजस्व वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

1. श्री कैलाश दवे अधिवक्ता प्रति संख्या 2 से 4, श्री भवानीसिंह जैतावत अधिवक्तागण वादीगण उपस्थित।
2. श्री अर्जूनसिंह राजपूरोहित अधिवक्ता प्रतिवादीगण उपस्थित।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

Scanned with CamScanner

–: निर्णय :–

दिनांक: 01.03.2021

अधिवक्ता मय वादीगण ने दिनांक 14.02.2013 को न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, जैतारण मे राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 आर0टी0एक्ट0 1955 बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा बेड कल्ला तह0 जैतारण जिला पाली मे वादी के पिता स्व0 ईन्द्रसिंह पुत्र भारतसिंह के नाम के खसरा नंबर 90 रकबा 54.16 बीघा एव खसरा नंबर 291 रकबा 35 बीघा मौजा बेड कल्ला की खातेदारी मे दर्ज थी। उक्त भूमि वादी के पिता के नाम से खातेदारी मे दर्ज थी। वादी के पिता का देहान्त लगभग 15 वर्ष पूर्व हो चुका है।वादी के पिता के देहांत के बाद खसरा नंबर 291 रकबा 70 बीघा सामलाती भूमि थी, जो आपसी खातेदारों के बीच बंटवाडा के पश्चात उक्त खसरा नंबर 291/5 बीघा बना जो वादी के सगे भाई स्व0 हनुमानसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज कर दी गई। खसरा नंबर 90 में प्रतिवादी संख्या 1 एवं स्व हनुमानसिंह के नाम खातेदारी से दर्ज कर दिया गया। जबकि हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम के अनुसार स्व0 इन्दरसिंह के वारिसान मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 प्रथम श्रेणी की वारिसान है। राजस्व रेकर्ड अनुसार उक्त भूमि वादी की पुश्तैनी भूमि है तथा इन्दरसिंह के देहानत के बाद सम्पूर्ण भूमि में वादी के हक एव हिस्से के अनुसार उक्त भूमि में कानूनी रूप से वादी का हिस्सा भी राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक था, लेकिन दर्ज नहीं किया गया है। वादी के पिता इन्दरसिंह का पुत्र हनुमानसिह जो कि वादी का सगा भाई था। जिनका देहान्त दिनांक 22.01.2013 को हो चुका है। जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र वाद पत्र के साथ प्रस्तुत किया है। स्व हनुमानसिंह के कोई भी पुत्र एवं पुत्री नही है केवल इनकी पत्नि दरियाव कंवर के अतिरिक्त कोई भी वारिसान नहीं है। मूल खातेदार स्व0 इन्द्रसिंह पुत्र भारतसिंह के चार पुत्रियॉ क्रमशः चांद कंवर वादी तथा सुगन कंवर, लाड कंवर तथा संतोष कंवर प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 है। वादी का उक्त भूमि पर अपने पिता की मृत्यु के उपरान्त अपने–अपने हिस्से के अनुसार कब्जा काश्त निरन्तर रूप से वर्तमान तक बहैसियत खातेदार काश्तकार के रूप मे चला आ रहा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को भी वादी के कब्जे काश्त की जानकारी है। वादी का कब्जा काश्त अपने पिता की मृत्यु उपरान्त चला आ रहा है तथा Adverse Possession के आधार पर वादी खातेदार काश्तकार हो चुके है। राजस्व कर्मचारियो की गलती से वादी का वादग्रस्त भूमि में इन्द्राज नहीं किया गया । लेकिन वादी मौके पर वादग्रस्त खसरा नंबरो पर काबिज काश्त है। वादी हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम के आधार पर वादग्रस्त भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त कर दुरस्ती करवाने की अधिकारी है। हाल ही में राजस्व अभिलेख जमाबंदी की प्रमाणित नकले प्राप्त करने पर वादी को यह जानकारी हुई की वादग्रस्त भूमि में वादी का नाम खातेदार के रूप में 1/6 हिस्से अनुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नही किया गया है। वादग्रस्थ कृषि भूमि में वादिया के पिता द्वारा अपने जीवनकाल में कुआ व टयूब वैल भी खुदवाई गई व खसरा नंबर 291 की भूमि में से खसरा नंबर 90 की पिलाई हेतु 3 फीट गहराई तक पाईप लाईन भी डाली गई है। इस प्रकार वादीया के पिता ने लाखों रूपये खर्च कर अपनी कृषि भूमि को काबिल काश्त किया है। दिनांक 03.02.2013 को वादीया अपने हिस्से एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि में बोई फसल की देखरेख करने गई तो प्रतिवादियां संख्या 05 ने वादीया को कहा कि उक्त कृषि भूमि में तुम्हारा कोई हक व अधिकार नहीं है व बोई फसल को नही काटने दूँगी । वादिया को उसके हिस्से की कृषि भूमि से बेदखल करने की भी धमकी दी इतना ही नही प्रतिवादिया संख्या 05 ने यह भी ऐलानिया धमकी दी कि मेरे पति स्व0 हनुमानसिंह के नाम की उक्त भूमि को बेचान हस्तान्तरण करूँगी तब वादिया ने राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी देखने पर ज्ञात हुआ कि उक्त पुश्तैनी भूमि मे वादिया व इन्द्रसिंह की अन्य पुत्रियों का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नही है। तब वादिया ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। प्रतिवादी संख्या

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

Scanned with CamScanner

1 से 4 को उक्त वाद मे बतौर वादी पक्षकार बनने हेतु कहा तो उन्होने संतोषजनक जवाब नही देने पर उन्हे बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया है। विनायवाद दिनांक 03.02.2013 को वादीया अपने हिस्से की कृषि भूमि में बोई फसल की देखरेख करने हेतु गई तो प्रतिवादी संख्या 05 उन्हे काश्त व काश्त मुताबिक कार्य करने से मना कर दिया एवं उनके हिस्से की कृषि भूमि से बेदखल करने की धमकी दी इतना ही नही उक्त भूमि को बेचान हस्तान्तरण करने की धमकी देने पर बमुकाम बेडकलां तहसील जैतारण में पेदा हुआ।इस प्रकार अधिवक्ता मय वादिया ने राजस्व वाद मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर माफिक दावा डिक्री बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस अमर की जारी जो कि सरहद मौजा बेडकलां में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 90 रकबा 56.16 बीघा व खसरा नंबर 291/5 रकबा 35 बीघा में वादीया का नाम उक्त भूमि मे 1/6 हिस्से में तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 प्रत्येक का 1/6 हिस्से में बतौर खातेदार के दर्ज किये जाने तथा माफिक हिस्से अनुसार वादीया काश्त करने तथा कराने में प्रतिवादीगण कों दखलन्दाजी करने से जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जानें की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन वास्ते जवाब दावा तलब किया गया। अधिवक्ता मय प्रतिवादीगण संख्या 01 एवं 2 से 04 ने दिनांक 17.04.2013 को जवाब दावा पेश किया, की प्रति अधिवक्ता वादिया को दिलाई गई, सामिल मिसल है। अधिवक्ता मय प्रतिवादीगण संख्या 05 की ओर से दिनांक 16.09.2013 को ज0दा0 पेश किया, की प्रतिलिपि अधिवक्ता वादिया को दिलाई गई, सामिल मिसल है। अधिवक्ता वादिया ने दिनांक 25.02.2014 को जबाबुल जबाब पेश करने की अनुमति का प्रार्थना पत्र एवं जबाबुल जबाब दिनांक 29.10.2014 को पेश किया की प्रतिलिपि अधिवक्ता प्रतिवादीगण दिलाई गई, सा.मि. किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 06 को बावजूद तामिली/सूचना बार बार आवाजें दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहनेसे इनके विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही दिनांक 18.07.2013 अमल में लाई गई। अधिवक्ता वादिया द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 04 सीपीसी का बाबत प्रति0 संख्या 1 कुन्दनकंवर पत्नि स्व0 ईन्दरसिंह राजपूत सा0 बेडकंला की मृत्यु दिनांक 08.'05.2014 को हो जाने से चूँकि प्रति0 संख्या 1 के का.मु. वादीया स्वयं एवं प्रति0 संख्या 2 से 5 रेकर्ड पर है। जिससे प्रति0 संख्या 01 कुन्दनकंवर का नाम वाद – पत्र से हटाये जाने की ईश्तदुआ पर वाद विधिक सुनवाई दिनांक 09.06.2014 को स्वीकार किया गया। फलतः प्रति0 संख्या 01 के का0मु0 पूर्व से ही रेकर्ड पर होने से वाद– पत्र से हटाया गया। दिनांक 12.03.2015 को तनकियात कायम की गई। अधिवक्ता वादिया ने शहादत वादीगण पी.डब्ल्यू – 01 चांदकंवर के तस्दीकसुदा शपथ पत्र पर जिरह अधिवक्ता मय प्रति0 संख्या 2 से 4 की ओर से जिरह नही करना चाहने से जिरह बन्द की गई। दिनांक 16.04.2015 को शहादत वादीगण पी0डब्ल्यू – 2 धनसिंह राठौड के शपथ– पत्र का मुख्य परिक्षण करवाया जाकर दिनांक 16.04.2015 को दस्तावेजा प्रदर्श EX-1 से EX-8 प्रदर्शित करवाये गये तथा जिरह अधि0 प्रति0 संख्या 5 से जिरह पी.डब्ल्यू – 01 चांद कंवर से पूर्ण करवाई जाकर दिनांक 20.04.2015 को कलमबद्ध बयान सामिल मिसल है। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, पाली के न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश होने पर उप खण्ड अधिकारी, जैतारण द्वारा टिप्पणी प्रेषित करने पर पारित आदेश दिनांक 31.08.2016 अनुसार न्यायालय हाजा में स्थानान्तरित किये जाने पर रा0वा0 26/2017 के रूप में न्यायालय हाजा में दर्ज किया गया। अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 05 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 रिडविथ 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र दिनांक 04.05.2015 का जबाब दिनांक 22.05.2015 को प्रस्तुत होने पर बहस सूनी जाकर विधिक / न्यायिक प्रकियानुरूप बाद सुनवाई पृथक निर्णय लिखवाया जाकर प्रा0पत्र दिनांक 03.10.2017 को खारिज किया गया। दिनांक 05.02.2018 को

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

Scanned with CamScanner

अधिवक्ता वादीगण द्वारा शहादव वादीगण पी0डब्ल्यू – 2, धनसिंह राठौड के प्रस्तुत तस्दीक सुदा शपथ–पत्र के मुख्य परीक्षण एवं जिरह अधि0 प्रतिवादी पर बयान कलमबद्ध करवाये जाकर सामिल मिसल किये गये। शहादत वादीगण रिब्यूटल का अधिकार सुरक्षित रखते हुये अन्य शहादत वादीगण पेश करना नही चाहने से बन्द की गई।

राजस्व वाद 27 /2017

दिनांक 31.03.2014 को एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत अनवान दरियाव कंवर बनाम कुन्दनकंवर वगैरह का पेश किया। उक्त राजस्व वाद 27/2017 का दर्ज रजिस्टर किया गया। अधिवक्ता वादिया ने राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का इसी विवदग्रस्त भूमि से सम्बद्ध इस आश्य का पेश किया कि, सरहद मौजा बेडकलां तह0 जेतारण जिला पाली में खसरा नंबर 90 रकबा 54 बीघा 16 बिस्वा किस्म चाही प्रथम वादीगण की पैतृक पुश्तैनी स्थित है। प्रतिवादी संख्या 01 वादी सासु है व प्रतिवादी संख्या 02 वादीया की नणद है जो अपने ससुराल जोधपुर में रहती है। प्रतिवादी संख्या 01 करीब 80 वर्ष की वृद्ध महिला है व सोचने समझने व भला बुरा सोचने में वृद्ध होने के कारण सक्षम नहीं है। उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 02 का इस आराजी में कोई लेना देना नहीं है व उक्त आराजी मे 1/2 हिस्सा वादीया के पति के नाम से है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। क्योकि अपने हिस्से की जमीन प्रतिवादी संख्या 02 पहले ही बेच चुकी है व अब उनकी नियतबद्ध हो चुकी है जो पूर्व मे भी प्रतिवादी संख्या 02 ने प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध वाद दर्ज कर उसको डराया व करीब 03 दिन पूर्व प्रतिवादी संख्या 02 प्रतिवादी संख्या 01 जो ग्राम बेडकला मे रहती थी को ईलाज करवाने का बहाना लेकर जोधपुर लेकर चली गई व प्रतिवदी संख्या 02 लालची है प्रतिवादी संख्या 01 की सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो चुकी है व कही भी प्रतिवादी सांख्या 01 जिनके नाम वादपत्र के पद संख्या 01 में वर्णित खसरा नंबर की जमीन है का बेचान हस्तान्तरण वसीयत बक्सीस आदि अपने पक्ष में करवा सकती है अन्यथा अन्य व्यक्ति के नाम करवा सकती है अन्यथा अन्य व्यक्ति के नाम करवा सकती है दिनांक 18.03.2014 को प्रतिवादी संख्या 02 ने वादीयो को ऐलानिया धमकी दी कि प्रतिवादी सख्या 01 की सम्पूर्ण जमीम जायदाद अपने नाम करवा लेगी, तथा किसी को बेचान करवा देगी व यह धमकी दी कि मैने प्रतिवादी संख्या 01 से खाली कागजात पर हस्ताक्षर करवा लिये है व वह उन कागजात का कही भी गलत उपयोग कर सकती है तथा वादिया को उक्त आराजी से बेदखल करने की धमकी दी जबकि उसे ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही हैं उक्त आराजी वादीया के ससुर के नाम से थी जो वादीया की पैतृक पुश्तैनी है जिसकी एक मात्र वारिसान वादीया व उसका एक मात्र गोद पुत्र रणवीरसिंह है जो नाबालिग है । जिसकी उक्त आराजी पैतृक पुश्तैनी है जिसकी प्रतिवादी संख्या 1 को बेचान हस्तान्तरण करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है क्योकि प्रतिवादी संख्या 01 वृद्ध महिला है चलने फिरने मे असमर्थ है व उसके सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो चुकी है तथा इस अवस्था में उसके द्वारा किया गया कोई भी दस्तावेजात विधि विरूद्ध है व ऐसा करने से रूकवाने की कानूनन वादीया अधिकारी है। विनाय वाद दिनांक 13.03.2014 को उक्त आराजी को किसी अन्य को हस्तान्तरण व वसीयत करवाने व खाली कागजात पर हस्ताक्षर करवाने की धमकी तथा उक्त आराजी से वादीया को बेदखल करने की धमकी देने पर मौजा बेडकलां मे उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादिया ने वाद–पत्र मय दस्तावेज पेश वादपत्र के पद संख्या 01 में वर्णित खसरा नंबर की भूमि वादिया की पैतृक पुश्तैनी होने से तथा प्रतिवादी संख्या 01 वृद्ध होने व सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो होने से उक्त भूमि बेचान, रहन, बक्सीस, वसीयत हस्तान्तरण आदि करने से प्रतिवादी को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने के लिए डिक्री एंव निर्णय बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

Scanned with CamScanner

जारी कर वादिया के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार से दखल व दस्तन्दाजी नहीं करने एवं मौके तथा राजस्व रेकर्ड की स्थिति को यथावत रखे जाने हेतु प्रतिवादीगण को पावन्द किये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय पाली को प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश होने पर वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जैतारण की टिप्पणी पश्चात वाद विधिक/न्यायिक सुनवाई उनके आदेश दिनांक 31.08.2016 अनुसार न्यायालय हाजा को उक्त वाद स्थानान्तरित किया गया। उक्त वाद दिनांक 08.03.2017को रा0वा0 संख्या 27/2017 दरियाव कवर बनाम कुन्दनकंवर वगैरह न्यायालय हाजा में दर्ज किया, दिनांक 03.10.2017 को अधिवक्ता प्रति0 संख्या 2 की ओर से ज0दा0 पेश किया गया, कि प्रतिलिपि अधिवक्ता वादिया को दिलाई गई, सामिल पत्रावली है। पत्रावली वास्ते कायमी तनकीयात मुकर्रर हुई। रा0 वा0 संख्या 26/2017 चांद कंवर बनाम कुन्दनकंवर वगैरह अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की पत्रावली पश्चातवर्ती रा0वा0 पत्रावली संख्या 27/2017 दरियाव कंवर बनाम कुन्दनकंवर वगैरह अन्तर्गत धारा 188 राज0 काश्त0अधिन0 1955 का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। अधिवक्ता वादीगण द्वारा राजस्व वाद सख्या 26 /2017 चांद कंवर बनाम कुन्दन कंवर वगेरह अन्तर्गत धारा 88 188 राज0काश्त0अधि0 1955 एक समान पक्षकार, विषयवस्तु एवं ईश्तदुआ होन से पूर्ववर्ती वाद संख्या 26 /2017 के संलग्न पश्चातवर्ती राजस्व वाद संख्या 27 /2017 को संकलित किये जाने की ईश्तदुआ की, जिसमें अधिवक्ता वादीगण ने स्वीकारोक्ति/सहमति व्यक्त की है। बहस वकुलाय सुनी गई। प्रावधानानुरूप एक समान पक्षकार/विषयवस्तु ईश्तदुआ से सम्बद्ध राजस्व वद संख्या 27/2017 को पूर्ववर्ती वाद संख्या 26/2017 के संलग्न संकलित किया जाना स्वविवेक से उचित समझते हैं। उक्त पूर्ववर्तीवाद संख्या 26 /2017 चांदकंवर बनाम कुन्दन कंवर अन्तर्गत धारा 88 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के साथ पाश्चातवर्ती वाद संख्या 27 /2017 दरियाव कंवर बनाम कुंदन कंवर वगेरह अन्तर्गत धारा 188 राज0काश्त0अधि0 1955 की उक्त धारा पूर्व की वाद में समाहित होने से संलग्न संकलित किया जाना न्यायोचित होने से संकलित किया गया।

दिनांक 13.01.2021 को दौराने वाद वादिया चांदकंवर पुत्री उन्दरसिंह राजपुत सा0 बेडकंला तहसील जैतारण, तथा प्रति वादीगण संख्या 2 स्थगनकंवर पुत्री उन्दरसिंह राजपुत , 3 लाडकंवर पुत्री उन्दरसिंह राजपुत ,4 संतोष कंवर पुत्री उन्दरसिंह राजपुत तथा दरियावकंवर पत्नि हनुमानसिंह राजपुत निवासीगण बेडकंला तहसील जैतारण ने स्वयं उपस्थित होकर तहरीरी राजीनामा पेश किया, सा0मि0 है। दिनांक 13.01.2021 को उभय पक्ष ने राजीनामा पेश किया कि आपसी राजीनाम का मूलवाद संख्या 47 /2013 अन्तर्गत धारा 88 188 राज0काश्त0अधि0 1955 एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 प्रकरण 52 /2013 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जेतारण से न्यायालय अति0 जिला कलक्टर पाली ने निर्णय दिनांक 31.08.2016 के तहत आपके न्यायालय में अन्तरित किया गया। उक्त वाद संख्या 26 /2017 में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि ग्राम बेडकलां तहसील जैतारण जिला पाली में स्थित खसरा नंबर 90, रकबा 56.16 बीघा तथा खसरा नंबर 291 /5 रकबा 35 बीघा भूमि पुश्तैनी सम्पति है। जिसमें वादीयां चांद कंवर पुत्री स्व0 इन्द्रसिंह तथा प्रतिवादी संख्या 02 से 04 वादीयां की सगी बहने तथा मूल खातेदार स्व0 इन्द्रसिंह की जाईन्दा पुत्रीयां है। प्रतिवादी सख्या 05 दरियाव कंवर पत्नि स्व0 हनुमानसिंह वादीयां तथा प्रतिवादी संख्या 02 से 04 की सगी भाभी है तथा मूल खातेदार स्व0 इन्द्रसिंह की पुत्रवधु है। वादग्रस्त भूमि का तितम्बा सजरा में मूल खातेदार स्व0 इन्द्रसिंह पुत्र स्व भारतसिंह, स्व0 कुन्दन कंवर पत्नि स्व0 इन्द्रसिंह, चान्दकंवर, सुगनकंवर, लाडकंवर, सन्तोष कंवर पुत्रियां स्व0 इन्द्रसिंह, दरियाव कंवर पत्नि स्व0 हनुमानसिंह वाद पत्र संख्या 26 /2017 में वर्णित वादग्रस्त

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

Scanned with CamScanner

कृषि भूमि मूल खातेदार स्व0 इन्द्रसिंह है । प्रतिवादी संख्या 01 कुन्दन कंवर मूल खातेदार की धर्म पत्नि थी जिनका भी देहान्त हो चुका है तथा कायम मुकान का प्रा0 पत्र पेश कर इनका नाम वादपत्र से हटाया जा चुका है। उक्त वाद में वादीया द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पैतृक एवं पुस्तैनी सम्पति होने के कारण अपने हक एवं 1/5 हिस्से के लिए खातेदार काश्तकार की घोषणा कराने बाबत् उक्त वाद लाया गया। वादपत्र में वर्णित प्रतिवादी सख्या 02 से 04 सुगनकवंर, लाड कंवर एवं संतोष कंवर पुत्रिया स्व0 इन्द्रसिंह ने भी इस वादग्रस्त पैतृक सम्पति में अपने–अपने 1/5 हिस्से की खातेदारी अधिकार की घोषणा कराने बाबत् अपनी सहमति व्यक्त की है परन्तु मूल खातेदार स्व0 इन्द्रसिंह की पुत्रवधु प्रतिवादी संख्या 05 दरियाव कंवर पत्नि स्व0 हनुमानसिंह वादग्रस्त पुश्तैनी भूमि का सम्पूर्ण हिस्सा अपने नाम खातेदारी से दर्ज कराने बाबत् नियम विरूद्ध इस वाद को लम्बित करती रही जिसके कारण उक्त वाद का आज तक निस्तारण नही हो गया। उक्त वाद के निस्तारा हेतु प्रतिवादी संख्या 02 सुगन कंवर एवं प्रतिवादी संख्या 03 लाडकंवर द्वारा प्रतिवादी सख्या 05 दरियाव कंवर पत्नि स्व0 हनुमानसिंह के पक्ष में खसरा नंबर 90 मे से 03 बीघा 04 बिस्वान्सी एवं खसरा नंबर 291 /5 में से अपना–अपना 1/5–1/5 सम्पूर्ण हिस्सा देकर उक्त राजीनामा पेश कर रही है ताकि वाद का निस्तारण हो सके तथा वादीयां एवं प्रतिवादीगण संख्या 02 से 05 का नाम उक्त राजीनामें मुताबिक राजस्व रेकर्ड में खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज किया जा सके। प्रवितादी सख्या 05 दरियाव कंवर पत्नि स्व0 हनुमानसिंह द्वारा वादीया द्वारा वादीया के तौर पर अलग से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जैतारण में चांदकरंवर को प्रतिवादी बनाकर वाद संख्या 83 /2014 एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रकरण संख्या 62 /2014 दर्ज कराया गया। उक्त दोनो प्रकरण भी न्यायालय अति0 कलक्टर पाली के निर्णय दिनांक 31.08.2016 के तहत आपके न्यायालय में अन्तरित किये गये जिस पर आपके न्यायालय में इन दोनो प्रकरणों को वाद संख्या 27 /2014 एवं 15 /2017 के रूप में दर्ज किये गये। उक्त दोनो प्रकरणों को मै दरियाव कंवर पत्नि स्व0 हनुमानसिंह बिना किसी दबाव के विड्रो करने का आदेश फरमावे। यदि वाद संख्या 27 /2017 एवं 15 /2017 वादिया चांद कंवर द्वारा वाद संख्या 26 /2017 के साथ क्लब कर दिये गये हो तो ऐसी स्थिति में वाद संख्या 26 /2017 में राजीनामा मुताबिक किया गया निर्णय इन दोनो प्रकरणों पर लागू होगा। उक्त राजीनामा वादीया द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जैतारण में दायर मूल वाद संख्या 47 /2013 एवं आपके न्यायालय मे इसी वाद को नये वाद संख्या 26 /2017 के तौर पर दर्ज किया गया जिन पर प्रभावी रहेगा। आपसी राजीनामा मुताबिक प्रतिवादी संख्या 02 व 03 कमशः सुगन कंवर तथा लाड कंवर पुत्रियां स्व0 इन्द्रसिंह ने खसरा नंबर 291 /5 रकबा 35 बिघा में से अपना सम्पूर्ण 1/5 हिस्सा अपने स्वस्थ चित, पूर्ण होश–हवाश के साथ तथा बिना किसी प्रकार के दबाव के अपनी सगी भाभी प्रतिवादी संख्या 05 दरियावकंवर पत्नि स्व0 हनुमानसिंह को दे दिया गया है तथा दरियाव कंवर के नाम उक्त हिस्सा खातेदार काश्तकार के रूप मे राजस्व रेकर्ड मे दर्ज कराने बाबत् सहमत है। खसरा नंबर 291 /5 में इस राजीनामा मुताबिक सुगन कंवर एवं लाडकंवर का कोई हिस्सा नहीं रहेगा। प्रतिवादी संख्या 2 सुगन कंवर का खसरा नंबर 90 रकबा 54.16 बीघा भूमि में से 1/5 हिस्सा जो कि 10.19 बीघा 16 बीसवान्सी तथा प्रतिवादी संख्या 03 लाडकंवर का खसरा नंबर 90 रकबा 54.16 बीघा भूमि में से अपने 1 /5 हिस्सा जो कि 10.19 बीघा 16 बीसवान्सी आता है। उक्त हिस्से में से 03 बिघा 04 बीसवान्सी भूमि प्रतिवादी संख्या 02 सुगनकंवर एवं प्रतिवादी संख्या 03 लाडकंवर द्वारा अपनी सगी भाभी दरियाव कंवर पत्नि स्व0 हनुमानसिंह को आपसी राजीनामा मुताबिक दे दी गई है। इस प्रकार खसरा नंबर 90 रकबा 54.16 बीघा में दरियाव कंवर के हिस्से में 14 बीघा भूमि खातेदार के तौर पर प्राप्त हो जाती है। राजीनामा मुताबिक प्रतिवादी संख्या 05 दरियावकंवर पत्नि स्व0 हनुमान सिंह द्वारा खसरा नंबर 90 रकबा 54.16 बीघा में से अपने हिस्से की 14 बीघा भूमि में से 07 बीघा भूमि वादिया चांदकंवर एवं 07 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 04 संतोषकंवर को

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

Scanned with CamScanner

राजीनामा मुताबिक दे दी गई है। उक्त सहमति अनुसार वादीया चांदकंवर का खसरा नंबर 90 रकबा 54.16 बीघा में 1/3 हिस्सा खातेदार के तौर पर तथा प्रतिवादी संख्या 04 संतोष कंवर का भी खसरा संख्या 90 रकबा 54.16 बीघा भूमि में 1/3 हिस्सा खातेदार के तौर पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जावे। भूमि के उक्त आदान–प्रदान के बाद खसरा नंबर 90 रकबा 54.16 बीघा में प्रतिवादी संख्या 05 दरियाव कंवर स्व0 हनुमानसिंह का खातेदार के तौर पर किसी तरह का हिस्सा नही रहेगा। राजीनामा मुताबिक वादीया चांदकंवर पुत्री स्व0 इन्द्रसिंह तथा प्रतिवादी संख्या 04 संतोष कंवर द्वारा खसरा नंबर 291/5 रकबा 35 बीघा में अपने–अपने 1/5–1/5 हिस्से यानि कुल 14 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 05 दरियावकंवर पत्नि स्व0 हनुमानसिंह के नाम खातेदारी से दर्ज कराने बावत् अपनी पूर्ण सहमति दी है ताकि दरियाव कंवर को खसरा संख्या 291/5 रकबा 35 बीघा भूमि में अकेले को खातेदारी अधिकार को प्राप्त हो सके। खसरा नंबर 291 /5 में वादीया चांदकंवर एवं प्रतिवादी संख्या 04 संतोष कंवर का कोई हिस्सा खातेदार के रूप में नहीं रहेगा। इस राजीनामा में वादीया चांदकंवर एवं प्रतिवादी संख्या 04 संतोष कंवर द्वारा अपने अलग–अलग 1/5–1/5 हिस्से की सम्पूर्ण भूमि अपने नाम पर खसरा नंबर 90 रकबा 54.16 बीघा में खातेदार काश्तकार के तौर पर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कराने बाबत् अपनी सहमति प्रदान की है। वादीया चांदकंवर एवं प्रतिवादी संख्या 04 संतोष कंवर द्वारा खसरा नंबर 90 एवं खसरा नंबर 291/5 में से अपने–अपने 1/5–1/5 हिस्से की भूमि में से किसी भी प्रकार का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 सुगनकंवर, प्रतिवादी संख्या 03 लाडकंवर एवं प्रतिवादी संख्या 05 दरियाव कंवर को देना स्वीकार नहीं किया है। वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 04 द्वारा केवल भूमि को 1 चक करने के लिए खसरा नंबर 291/5 रकबा 35 बीघा में अपना–अपना 1/5–1/5 सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी संख्या 05 दरियाव कंवर को देने हेतु अपनी सहमति दी है ताकि दरियाव कंवर के हिस्से की भूमि एक जगह चक में हो सकें। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 05 ने खसरा नंबर 90 रकबा 54.16 बीघा में अपने हिस्से की 14 बीघा भूमि में से 07 बीघा भूमि वादिया चांदकंवर को तथा शेष 07 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 04 संतोष कंवर को खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज करने बाबत् अपनी सहमति व्यक्त की है। ताकि वादीया चांद कंवर प्रतिवादी संख्या 04 संतोष कंवर का पूरा हिस्सा एक जगह होने से खसरा नंबर 90 रकबा 54.16 बीघा भूमि में वादीया चांद कंवर 1/3 हिस्से की खातेदारी तथा प्रतिवादी संख्या 04 संतोष को भी 1/3 हिस्से की खातेदारी अधिकारी प्रदान कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। इसी प्रकार राजीनामा मुताबिक नंबर 90 रकबा 54.16 बीघा मे से प्रतिवादी संख्या 02 सुगनकंवर का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 03 लाडकंवर का भी 1/6 हिस्से की खातेदारी अधिकार की घोषणा प्रदान करावें तथा इनका नाम खातेदार के तौर पर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

उक्त आपसी राजीनामा में वर्णित बिन्दु 1 से 4 मुताबिक खसरा नंबर 90 रकबा 54.16 बीघा कृषि भूमि में वादीया चांदकंवर पुत्री स्व0 इन्द्रसिंह को 1/3 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 04 संतोष कंवर पुत्री स्व इन्द्रसिंह को भी 1/3 हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर राजस्व रेकर्ड में इनके नाम का इन्द्राज किया जावे। जिसके लिए वादिया एवं सभी प्रतिवादीगण पूर्ण रूप से सहमत है। इस राजीनामा मुताबिक खसरा नंबर 90 रकबा 54.16 बीघा भूमि में प्रतिवादी संख्या 02 सुगन कंवर पुत्री स्व0 इन्द्रसिंह का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 03 लाडकंवर पुत्री स्व0 इन्द्रसिंह का 1/6 हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर इनका नाम राजस्व रेकर्ड में हिस्से मुताबिक इन्द्राज किया जावे जिसमें वादीया एवं सभी प्रतिवादीगण पूर्ण रूप सें सहमत है। इसी राजीनामा मुताबिक खसरा नंबर 291/5 रकबा 35 बीघा भूमि में प्रतिवादी संख्या 05 दरियाव कंवर पत्नि स्व0 हनुमानसिंह को सम्पूर्ण हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इनका नाम भी राजस्वा रेकर्ड में

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

Scanned with CamScanner

दर्ज किया जावें जिसके लिए वादीया एवं प्रतिवादीगण पूर्ण रूप से सहमत है। उक्त राजीनामा हमने आपसी सहमति से, स्वस्थ चित, पूर्ण होश–हवाश तथा बिना किसी दबाव में आकर अपने–अपने अधिवक्ता एवं साक्षीगण के समक्ष आज दिनांक 13.01.2021 को किया गया है। उक्त राजीनामा मुताबित वाद संख्या 26 /2017 का निस्तारण करवाकर उपरोक्त हिस्से अनुसार वादिया एवं प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कराने तथा हमारा नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कराने का आदेश किये जाने की ईश्तदुआ की है। प्रस्तुत उक्त राजीनामे में वर्णित तथ्यों को पढ सुन समझ कर सही व सत्य होना स्वीकार किया तथा उभय पक्षों ने हस्ताक्षर/ अंगुष्ठ कर स्वीकारोक्ति की है। जिसकी पहचान अधिवक्ता वादिया एवं अधिवक्ता प्रति सं0 2 से 4 तथा 5 ने की है, जिन्होने स्वयं पहचानते है, पृथक से तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया है।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादीया ने व्यक्त किया कि इस वाद प्रकरण मे विवादग्रस्त भूमि के सम्बद्ध में उक्त तहरीरी/तस्दीक सुदा न्यायालय हाजा द्वारा राजीनामा माफिक वाद डिक्री किये जाने तथा इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में उभय पक्षकारानों को खातेदार काश्तकार घोषित कर उभय पक्षों के नाम वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने की स्वीकरोक्ति / सहमति व्यक्त की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद – पत्र मय शपथ – पत्र दस्तावेजात एवं तस्दीक सुदा राजीनामा उभय पक्षकारान का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। बहस वकुलाय उभय पक्षकारान पर गौर कर मनन किया गया। माफिक तहरीरी/तस्दीक राजीनामा हुई उभय पक्षों / वकुलाय की आपसी सहमति / स्वीकारोक्ति अधिवक्ता मय वादिया का वाद माफिक राजीनामा डिक्री किया जाना तथा तदानुसार उभयपक्षों को विवादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझते है। वादिया तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 तथा 5 को राजीनामा अनुसार घोषित भूमि अनुसार एक दुसरे को कब्जे काश्त में दखनन्दाजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना भी उचित समझते है।

–:आदेश:–

अतः माफिक तहरीरी/ तस्दीक सुदा राजीनामा डिक्री बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 02 से 05 इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा बेडकंला तहसील – जैतारण जिला – पाली में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 90 रकबा 54 बीघा 16 बिस्वा किस्म चाही प्रथम वादिया चांदकंवर पुत्री स्व0 इन्द्रसिंह को 1/3 हिस्से, प्रतिवादी संख्या 04 संतोषकॅवर पुत्री स्व0 इन्द्रसिंह को 1/3 हिस्से, प्रतिवादी संख्या 02 सुगनकंवर पुत्री स्व इन्द्रसिंह को 1/6 तथा प्रतिवादी संख्या 3 लाडकंवर पुत्री इन्द्रसिंह को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। अन्य प्रवृष्टियों का इन्द्राज हटाया जावे। इसी राजीनामे अनुसार खसरा नम्बर 291/5 रकबा 35 बीघा किस्म बारानी अव्वल भूमि में प्रतिवादी संख्या 5 दरियाव कंवर पत्नि हनुमानसिंह को सम्पूर्ण हिस्से का एक मात्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। अन्य प्रविष्टियों का इन्द्राज हटाया जावे। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। वादिया एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 से 5 को एक दुसरे के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावे। तहरीरी / तस्दीक सुदा राजीनामा दिनांक 13.01.2021 को निर्णय का एक भाग माना जाता है। तहसीलदार जैतारण को निर्णय, डिक्री पर्चा एवं उक्त तहरीरी / तस्दीक सुदा राजीनामा दिनांक 13.01.2021 की प्रमाणित प्रतिलिपि तहरीर के साथ भेजकर पालना मंगवाई जावे। उक्त निर्णय डिक्री पर्चा तथा तहरीरी राजीनामा की प्रमाणित प्रतिलिपि संकलित किये गये पश्चातवर्ती राजस्व वाद संख्या 27/

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

Scanned with CamScanner

2016(83/2014) दरियाव कॅवर बनाम कुन्दन कॅवर वगैरह में पत्रावली बद्ध किया जावे। रा0वा0 संख्या 26/ 2017 (47/2013) चान्दकॅवर बनाम कुन्दनकॅवर वगैरह तथा 27/2017 (83/2014) की पत्रावलीयॉ फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता उक्त पत्रावलीयॉ दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 01.03.2021 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

Scanned with CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारी श्री दौलतराम चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सख्या 26 /2017(47/2013)

	वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1	चांद कॅवर पुत्री इन्दरसिंह जाति राजपूत निवासी बेड कला तह0 जैतारण जिला पाली।	1	कुन्दन कॅवर पत्नि स्व0 इन्दरसिंह जाति राजपूत नि0 बेड कला तह0 जैतारण जिला पाली।
		2	सुगन कॅवर
		3	लाड कॅवर
		4	संतोष कॅवर पुत्रियॉ स्व0 इन्दरसिंह जाति राजपूत नि0 बेंड कला तह0 जैतारण जिला पाली।
		5	दरियाव कॅवर पत्नि स्व0 हनुमानसिंह जाति राजपूत नि0 बेंड कला तह0 जैतारण जिला पाली।
		6	तहसीलदार, (भूमिधारक) जैतारण

राजस्व वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या 27/2017 (52/2013)

	वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1	दरियाव कंवर पत्नि स्व0 हनुमानसिंह जाति राजपूत नि0 बेंड कल्ला तह0 सोजत जिला पाली।	1	कुन्दन कंवर पत्नि स्व0 इन्दरसिंह जाति राजपूत नि0 बेंड कल्ला तह0 सोजत जिला पाली।
		2	चांद कंवर पुत्री इन्दरसिंह जाति राजपूत निवासी बेड़ कल्ला तह0 सोजत जिला पाली।
		3	उप पंजीयन अधिकारी, सोजत
		4	तहसीलदार, (भूमिधारक) जैतारण

राजस्व वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री अर्जूनसिंह राजपूरोहित एवं प्रतिवादी अधिवक्ता श्री कैलाश दवे एवं श्री भवानीसिंह जैतावत पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक तहरीरी/ तस्दीक सुदा राजीनामा डिक्री बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 02 से 05 इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा बेडकंला तहसील – जैतारण जिला – पाली में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 90 रकबा 54 बीघा 16 बिस्वा किस्म चाही प्रथम वादिया चांदकंवर पुत्री स्व0 इन्द्रसिंह को 1/3 हिस्से, प्रतिवादी संख्या 04 संतोषकॅवर पुत्री स्व0 इन्द्रसिंह को 1/3 हिस्से, प्रतिवादी संख्या 02 सुगनकंवर पुत्री स्व इन्द्रसिंह को 1/6 तथा प्रतिवादी संख्या 3 लाडकंवर पुत्री इन्द्रसिंह को

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

Scanned with CamScanner

1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। अन्य प्रवृष्टियों का इन्द्राज हटाया जावे। इसी राजीनामे अनुसार खसरा नम्बर 291/5 रकबा 35 बीघा किस्म बारानी अव्वल भूमि में प्रतिवादी संख्या 5 दरियाव कंवर पत्नि हनुमानसिंह को सम्पूर्ण हिस्से का एक मात्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। अन्य प्रविष्टियों का इन्द्राज हटाया जावें। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। वादिया एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 से 5 को एक दुसरे के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। तहसीलदार, सोजत को निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीव जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 01.03.2021 को जारी की गई।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुताफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			

Scanned with CamScanner